(6) 2.2

AM FAX

संख्या– 1473 / III(2) / 14–75(लो०नि०) / 2013

पत्र सं 874/IAC
13 MAR 2014

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक 04 मार्च, 2014

ाण अनुभाग–2

वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 21 कार्यों की प्रथम चरण की ...ासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा संलग्न ...ुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 06 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी ...ाई 94.50 किमी० + 06 सेतु है, पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागस ₹ 685.36 लाख ...रोड़ पिचासी लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय ...3–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 21 ...ु ₹ 2.10 लाख (₹ दो लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की ...न श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों का समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा ...न्त शासनादेश सं0–1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार ... परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ...ासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

... आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को ...ें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार ...ण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

... कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न ...ाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो इसका समायोजन विस्तृत ...न तैयार करते समय किया जायेगा।

... कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग ...प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

... आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी ...में व्यय कदापि न किया जाय।

... स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर ...त समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का ...अनुपालन किया जायेगा।

...– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा ...त आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

... उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में ...आवश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य ...कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क / भवन / सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण ...र्ष में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

874/IAC 13-3-14

(7)

⌂ 0002

03 2013 11:36AM FAX

(ix)-- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)-- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31--03--2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013--14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0--22--लेखाशीर्षक--5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय--04 जिला तथा अन्य सड़कें --आयोजनागत --800--अन्य व्यय--03 राज्य सेक्टर--02 नया निर्माण कार्य--24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग--2 के अशासकीय संख्या--870(A)/XXVII/(2)/2013 दि0: 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः-- यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
उप सचिव

संख्या-- 1473 (1)/III(2)/14-75(ग्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

10. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
11. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
12. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
13. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
14. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
15. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. वित्त अनुभाग--2, उत्तराखण्ड शासन।
17. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
18. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:– 1473 / III(2) / 14–75(ग्रा०आ०) / 2013 दिनांक 04 मार्च, 2014 का संलग्नक

12	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मैसीडाण्डा–हल्दूखाल मोटर मार्ग के स्थान कांडी खाली से रा०उ०मा०वि० तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमाड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	8.00	59.36 (₹ 46.80 + ₹ 12.56 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के कराये जाने वाले कार्य)	0.10
13	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में ग्राम हरखाड़ एवं पन्द्रहपाली को जोड़ने हेतु लाहूर नदी पर स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण कार्य।	30mt	1.20	0.10
14	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत खोला मोटर मार्ग से बर्तोली– आनलोक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	29.25	0.10
15	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या–आरासल्फड़ मोटर मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	6.00	45.93 (₹ 35.10 + ₹ 10.83 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
16	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत आरा से मानेश्वर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.00	15.31 (₹ 11.70 + ₹ 3.61 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
17	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत बसोली खान–विरकोला–सलपड़–विरकोली–तल्ला सेराघाट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (3 नं० 24 मी० स्पान स्टील गर्डर पुल सहित।)	25.00 + 03 Brg	196.57 (₹ 151.29 + ₹ 45.28 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
18	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भौंगादेवली के मंझोली (तल्ली भौंगादेवली) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	23.44 (₹ 17.55 + ₹ 5.89 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
19	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धौलादेवी ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम खोला तथा सीना के मध्य नौलासगड़ में 12 मी० स्पान आर०सी०सी० पैदल पुल का निर्माण कार्य।	12.00 mtr.	1.74	0.10
20	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक–भानू मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य।	2.00	2.42 (₹ 0.34 + ₹ 2.08 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
21	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जागर से भौंगादेवली लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	23.44 (₹ 17.55 + ₹ 5.89 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	योग:–	94.50 + 06 brg	685.36	2.10

(कुल ₹ दो लाख दस हजार मात्र)

(महिमा)
उप सचिव